

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 385/2016 बउनवानी बंदी पुत्र लडडू गुर्जर बनाम नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर  
निवासी ग्राम रवोजना डूंगर तहसील सवाईमाधोपुर  
उप0-1. श्री चेतीराम मीना, वकील अपीलान्ट 2. श्री छोटू सिंह गुर्जर पैरोकार राजस्व

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	म.सं. ज.सं.सं. आ.सं.सं.सं. क.सं.सं.सं. द.सं.
11.2.2017	<p>राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझौते की भावना से निस्तारण हेतु यह प्रकरण चिह्नित होने के कारण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। अपीलान्ट स्वयं, वकील अपीलान्ट, पैरोकार राजस्व एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्यगण उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौरान सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 21/16 में ग्राम रवोजना डूंगर की आराजी संख्या 1173 रकबा 0.75 है 0 किस्म गै0मु0 चारागाह भूमि में सम्वत 2072 रबी में सरसों की फसल काशत करना अंकित करते हुये अतिक्रमणी माना है एवं दिनांक 2.3.2016 को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास से सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, साथ ही आदेश जैर अपील के तहत अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत भी निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने व पुनः अतिक्रमण नहीं करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है, किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी।</p> <p>उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् में इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरूप है, अतः अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक स्वीकार की जाती है कि नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर मौके पर जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एवं यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 11.2.2017 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	

श्री सुरेश कुमार गुप्ता  
सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत

श्री लाल बैरवा  
सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत

(के.सी.वर्मा)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर